

16-01-24 पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा या शर्मा संपन्न

उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित


नहीं हुए। अतः शर्मा का यह शर्मा पत्र अदम हाजिरी-

अदम पैरवी में इसी स्तर पर खासिज किया जाता है।

पत्रावली का यह तरीका तत्काल होकर साहित्य दफ्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर जुले न्यायालय में

सुनाया गया।


(अमिता बिशनोई)
RAS